हुक्म की तामील में जारी हुए

रजि॰ विक्रय पत्र द्वारा क्रय किया जाना प्रकट किया है तो उक्त भूमि मूर्ति मन्दिर के खातेदारी की होने के कारण न तो पुजारी को और न ही भूमि के जोता को उक्त आराजी के बेचान का कोई अधिकार था और न ही उक्त आराजी बेचान की जा सकती थी। इस प्रकार मूर्ति मन्दिर की भूमि का जो बेचान किया गया है वह बेचान प्रारम्भतः ही प्रभाव शून्य है और इस प्रकार के प्रभाव शून्य बेचान के आधार पर वादीगण किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है प्रतिवादी सं. 1 द्वारा अपने जवाब दावे में स्वयं को मन्दिर मूर्ति का पुजारी होने से उसके अधिकारों की जो मांग की गई है वह मुताबिक राजस्व रेकार्ड कानून सम्मत प्रतीत नहीं होती है ऐसी स्थिति में प्रतिवादी सं. 1 का उज्र भी स्वीकार योग्य नहीं है इस प्रकार वादीगण के हक में जो भी दस्तावेज मूर्ति मन्दिर की भूमि के सम्बन्ध में पंजीकृत हुये है या अन्य अनरजिस्टर्ड दस्तावेज लिखे गये है उन दस्तावेजात को प्रभाव शून्य घोषित किया जाता है तथा वाद वादीगण खारिज किया जाता है तहसीलदार बून्दी विवादित आराजी को अपने कब्जे में लेकर उक्त आराजी के काश्त की व्यवस्था कराने तथा निरीक्षक देवस्थान बून्दी की अध्यक्षता में मूर्ति मन्दिर की सेवा हेतु एक कमेटी का गठन कर प्रतिवर्ष होने वाली आय से कमेटी को मूर्ति मन्दिर में तेल भोग की राशि अदा करे। प्रतिवर्ष आय व्यय का हिसाब न्यायालय में भिजवाने की सुनिश्चितता करे। उप पंजीयक बून्दी को भी दस्तावेज प्रभाव शून्य हो जाने के क्रम में सूचित किया जावे। तदनुसार डिक्री पर्चा जारी किया जावे। पत्रावली फैसले में शुमार होकर बाद पूर्ति नियमानुसार दाखिल दफ्तर